2017 का विधेयक संख्यांक 164

[दि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग (सेकेन्ड) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2017

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निरसन और संशोधन (दूसरा) अधिनियम, 2017 है ।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन ।

2. पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का निरसन किया जाता है ।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन ।

3. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को इसके द्वारा उसके चौथे स्तंभ में वर्णित विस्तार तक तथा रीति से संशोधित किया जाता है ।

व्यावृति ।

4. किसी अधिनियमिति का इस अधिनियम द्वारा निरसित किया जाना, किसी अन्य ऐसी अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है ;

और इस अधिनियम का प्रभाव, पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उद्भूत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले से अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर नहीं पड़ेगा ;

और न ही, इसका प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा भले ही वह, यथास्थिति, इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी रीति से पुष्ट, मान्य या व्युत्पन्न क्यों न हो ;

और न ही, इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, निरसन से कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित होगी ।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखें)

निरसन

वर्ष	अधिनियम संख्या	संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
1850	21	जाति निर्योषयता निवारण अधिनियम, 1850
1857	7	मद्रास प्रतिवचनबद्ध अधिकारी अधिनियम, 1857
1857	21	हावड़ा अपराध अधिनियम, 1857
1859	12	कलकत्ता पाइलट अधिनियम, 1859
1862	3	सरकारी मुद्रा अधिनियम, 1862
1873	16	पश्चिमोत्तर प्रान्त ग्राम और सड़क पुलिस अधिनियम, 1873
1875	20	मध्य प्रांत विधि अधिनियम, 1875
1876	19	नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876
1879	14	भाड़ागाड़ी अधिनियम, 1879
1879	19	रायपुर और खात्र विधि अधिनियम, 1879
1881	13	फोर्ट विलियम अधिनियम, 1881
1882	21	मद्रास वन (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1882
1883	10	विक्रम सिंह संपदा अधिनियम, 1883
1886	21	अवध वासिकास अधिनियम, 1886
1888	3	पुलिस अधिनियम, 1888
1888	8	भारतीय पथकर अधिनियम, 1888
1893	2	पोराहट संपदा अधिनियम, 1893
1895	15	सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895
1897	8	सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897
1911	10	राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम, 1911
1912	10	बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा आसाम विधि अधिनियम, 1912
1917	7	सर करीमभाई इब्राहीम बैंरनटसी (संशोधन) अधिनियम, 1917
1921	25	पशु अतिचार (संशोधन) अधिनियम, 1921
1931	20	शैरीफ कलकत्ता (अभिरक्षा में लेने की शक्ति) अधिनियम, 1931
1932	11	लोकहितवाद विधिमान्यकरण अधिनियम, 1932
1932	24	बंगाल आतंकवादी हिंसा दमन (अनुपूरक) अधिनियम, 1932
1938	20	दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1938
1941	4	बरार विधि अधिनियम, 1941
1942	41	साप्ताहिक अवकाश दिन अधिनियम, 1942
1943	23	युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1943
1947	16	शत्रु के साथ व्यापार (आपात विषयक उपबंधों का चालू रखना) अधिनियम, 1947

(1)	(2)	(3)
1948	26	जूनागढ़ प्रशासन (संपत्ति) अधिनियम, 1948
1949	51	अधिगृहीत भूमि (प्रतिकर प्रभाजन) अधिनियम, 1949
1949	61	वृत्तिकर परिसीमा (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1949
1950	4	निवारक निरोध अधिनियम, 1950
1950	50	निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम, 1950
1950	67	कूच-बिहार (विधियों की एकरूपता) अधिनियम, 1950
1951	3	भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951
1951	4	निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम, 1951
1951	51	रेल कम्पनी (आपात उपबंध) अधिनियम, 1951
1951	66	भाग ग राज्य प्रकीर्ण विधि (निरसन) अधिनियम, 1951
1951	70	विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, 1951
1952	1	भाग ख राज्य विवाह विधिमान्यकरण अधिनियम, 1952
1952	34	निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम, 1952
1952	61	निवारक निरोध (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1952
1954	4	अपहृत व्यक्ति (वसूली और प्रत्यावर्तन) संशोधन अधिनियम, 1954
1954	7	भाग ग राज्य सरकार (संशोधन) अधिनियम, 1954
1954	15	निष्क्रांत निक्षेपों का अंतरण अधिनियम, 1954
1954	20	आमेलित क्षेत्र (विधि) अधिनियम, 1954
1954	36	चन्द्रनगर (विलयन) अधिनियम, 1954
1954	51	निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम, 1954
1955	19	कमांडर-इन-चीफ (पदाभिधान परिवर्तन) अधिनियम, 1955
1955	30	अपहृत व्यक्ति (वसूली और प्रत्यावर्तन) जारी रहना अधिनियम, 1955
1956	4	विधिज्ञ परिषद् (राज्य विधियों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956
1956	50	कपास उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1956
1956	65	अपहृत व्यक्ति (वसूली और प्रत्यावर्तन) जारी रहना अधिनियम, 1956
1956	88	लोक प्रतिनिधित्व (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1956
1956	97	दिल्ली किरायेदार (अस्थायी उपबंध) अधिनियम, 1956
1957	32	अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1957
1957	37	विधान परिषद् अधिनियम, 1957
1957	54	निवारक निरोध (जारी रहना) अधिनियम, 1957
1959	24	भेषजी अधिनियम, 1959
1960	31	त्रिपुरा नगरपालिक विधि (निरसन) अधिनियम, 1960
1960	47	बिलासपुर वाणिज्य निगम (निरसन) अधिनियम, 1960
1960	48	महेन्द्र प्रताप सिंह संपदा (निरसन) अधिनियम, 1960
1960	53	त्रिपुरा उत्पाद शुल्क विधि (निरसन) अधिनियम, 1960
1962	62	आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1962
1962	63	आपात संकट (कारखाना) बीमा अधिनियम, 1962

(1)	(2)	(3)
1963	29	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1963
1963	56	दिल्ली विकास (संशोधन) अधिनियम, 1963
1964	23	दिल्ली (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1964
1965	50	गोवा, दमण और दीव (आमेलित कर्मचारी) अधिनियम, 1965
1967	16	भ्रष्टाचार निरोध विधि (संशोधन) अधिनियम, 1967
1969	41	अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1969
1971	65	एशियन रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1971
1971	68	उत्तर प्रदेश छावनी (किराया और बेदखली) (निरसन) अधिनियम, 1971
1972	36	कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
1973	26	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973
1975	19	अखिल भारतीय सेवा विनियम (संरक्षण) अधिनियम, 1975
1976	22	आसाम सिलिमेनायट लिमिटेड (रिफ्रैक्टरी संयंत्र का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1976
1976	28	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) निरसन अधिनियम, 1976
1976	76	भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, 1976
1976	89	भारतीय लौह और इस्पात कंपनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976
1976	96	ब्रेथवेट और कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1976
1977	16	विवादग्रस्त निर्वाचन (प्रधानमंत्री और अध्यक्ष) अधिनियम, 1977
1977	41	स्मिथ, स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1977
1977	42	ग्रेशम एंड क्रेवन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1977
1978	13	हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1978
1978	42	बोलानी ओर्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1978
1979	12	पंजाब उत्पाद (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1979
1980	58	बंगाल केमीकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980
1983	35	खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983
1984	39	पंजाब नगरपालिका (नई दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1984
1984	43	एलुमिनम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एलुमिनम उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984
1984	57	बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984
1985	80	सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1985
1987	36	ब्रेन्टफर्ट इलैक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1987
1993	24	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1993

(1)	(2)	(3)
1994	56	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1994
1999	6	दिल्ली विकास प्राधिकरण (अनुशासनिक शक्तियों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1998
1999	8	सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1998
1999	49	प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1999
2000	20	प्रत्यक्ष कर विधि (प्रकीर्ण) निरसन अधिनियम, 2000
2000	48	समपहरण (निरसन) अधिनियम, 2000
2001	33	पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) निरसनकारी (निरसन) अधिनियम, 2001
2001	36	भारतीय विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2001
2001	37	ओरोविल (आपात उपबन्ध) निरसन अधिनियम, 2001
2001	41	केन्द्रीय विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, 2001
2001	47	द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र (उत्सादन) और अन्य विधियां निरसन अधिनियम, 2001
2002	57	मैसूर राज्य लैजिसलेचर (डेलिगेशन ऑफ पावर्स) निरसन अधिनियम, 2002
2002	65	काउंटेस आफ डफरिन निधि (निरसन) अधिनियम, 2002
2002	66	खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) निरसन अधिनियम, 2002
2002	70	शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) निरसन अधिनियम, 2002
2003	2	केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2002
2005	38	विस्थापित व्यक्ति दावे और अन्य विधियां निरसन अधिनियम, 2005
2005	44	अप्रवासी (वाहक दायित्व) संशोधन अधिनियम, 2005
2006	3	केंद्रीय विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, 2005
2006	18	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006
2006	24	उपकर विधि (निरसन और संशोधन) अधिनियम, 2006
2006	29	कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006
2006	32	स्प्रिटयुक्त निर्मिति (अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) अधिनियम, 2006
2006	46	उपज उपकर विधि (उत्सादन) अधिनियम, 2006
2006	49	भारतीय राइफल्स (निरसन) अधिनियम, 2006
2007	24	मिजोरम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007
2007	39	प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007
2008	25	केंद्रीय विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2008
2009	39	प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2009
2010	20	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010
2010	33	झारखंड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2010
2012	27	प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012
2012	31	केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012

गर्वनर-जनरल द्वारा बनाए गए अध्यादेश

(1)	(2)	(3)
1941	7	युद्ध क्षति अध्यादेश, 1941
1942	20	सामुहिक जुर्माना अध्यादेश, 1942
1942	41	सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अध्यादेश, 1942
1944	21	लोक स्वास्थ्य (आपातकालीन उपबंध) अध्यादेश, 1944
1945	24	युद्ध उपदान (आयकर से छूट) अध्यादेश, 1945
1945	30	सिकन्दराबाद विवाह विधिमान्यकरण अध्यादेश, 1945
1946	2	बैंक नोट (धृति घोषणा) अध्यादेश, 1946
1946	6	दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1946
1946	10	युद्ध समापन (परिभाषा) अध्यादेश, 1946

दूसरी अनुसूची

(धारा 3 देखें)

संशोधन

वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4
1951	69	बगान श्रम अधिनियम, 1951	धारा 43 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।
2016	2	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	धारा 69 की उपधारा (2) में, "(घ) से (च) में वर्णित" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, "उपधारा (1) के खंड (घ) से (च) में वर्णित" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।
2016	49	निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016	धारा 76 में, "खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, "उपधारा (1) का" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक है, जिनके द्वारा उन अधिनियमितियों को, जो लागू नहीं रहती हैं या अप्रचलित हो गई हैं या जिनको पृथक् अधिनियमों के रूप में प्रतिधारित करना अनावश्यक हो गया है, का निरसन किया जाता है या जिनके द्वारा अधिनियमितियों में पता लगाई गई औपचारिक त्रुटियों को ठीक किया जाता है ।

2. अनुवर्ती टिप्पणियां विधेयक में उन मदों में संशोधन के सुझावों को स्पष्ट करती हैं, जिनके संबंध में कुछ विस्तृत स्पष्टीकरण आवश्यक है ।

3. विधेयक के खंड 4 में व्यावृति खंड के रूप में कतिपय पूर्वावधानी का उपबंध अंतर्विष्ट हैं, जिनका इस प्रकार के विधेयकों में सम्मिलित किया जाना प्रायिक है ।

नई दिल्ली ;
8 अगस्त, 2017

रवि शंकर प्रसाद

दूसरी अनुसूची पर टिप्पण

1. बगान श्रम अधिनियम, 1951 - अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन उक्त अधिनियम में अनवधानता से हुई भूल को ठीक करने के लिए है ।

2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन प्रत्यक्ष गलतियों को सुधारने के लिए है ।

3. नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 - अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन प्रत्यक्ष गलतियों को सुधारने के लिए है ।

उपाबंध

बगान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्यांक 69) से उद्धरण

* * * * *

नियम बनाने की साधारणशक्ति ।

43. (1) * * * *

(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाएजाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

* * * * *

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 2) से उद्धरण

* * * * *

प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति ।

69. (1) * * * *

(2) उपरोक्त (घ) से (च) में वर्णित सदस्यों के चयन और नामनिर्देशन के लिए मानदंड उनकी पदावधि के साथ ही उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) से उद्धरण

* * * * *

मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई ।

76. जब भी मुख्य आयुक्त धारा 75 के खंड (ख) के अनुसरण में किसी प्राधिकारी को सिफारिश करता है तो वह प्राधिकारी उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और सिफारिश प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर की गई कार्रवाई से मुख्य आयुक्त को सुचित करेगा :

परन्तु जहां कोई प्राधिकारी किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है तो वह उसके स्वीकार न करने के कारणों को तीन मास की कालावधि के भीतर मुख्य आयुक्त को बताएगा और व्यथित व्यक्तियों को भी सूचित करेगा ।

* * * * *

GMGIPMRND—1824LS(CRC)—8-8-2018.